

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुझुनूं,
पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 84/2021
सरकार बनाम सुरेश देवी पत्नी प्रतापसिंह, जाति-जाट,
निवासी-मंदोली, तहसील-चरखी दादरी,
जिला-भिवानी (हरियाणा) हाल निवासी-
काकोड़ा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 06.09.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायला सुरेश देवी पत्नी प्रतापसिंह, जाति-जाट, निवासी-मंदोली, तहसील-चरखी दादरी, जिला-भिवानी (हरियाणा) हाल निवासी-काकोड़ा द्वारा रोही मौजा काकोड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 1030/260 के कुल रकबा 23.36 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है० भूमि पर काश्त हेतु तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला को जारी नोटिस तामील कुनीन्दा की इस रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ कि गैर सायला चरखी दादरी (भिवानी) में रहती है। इस पर गैर सायला को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस सरकारी डाक से उसके वर्तमान पते पर भिजवाया गया। लेकिन एक माह उपरान्त भी ना ही तो गैर सायला उपस्थित हुई एवं ना ही डाक विभाग से ए.डी. (पावती) प्राप्त हुई हैं। अतः गैर सायला की तामील मानते हुए गैर सायला के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

19
सं० से० सं० 4 के वृष्ट सं..... पर
वर्ष 2021-22 में रुपये... 12/- कायम किए
राजस्व लेखाकार